[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं 5/2019-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2019

सा.का.नि. (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उत्पाद-शुल्क अधिनियम कहा गया है) की धारा 5क के साथ पठित वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट विवरण के और उक्त सारणी के स्तंभ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट उत्पाद-शुल्क अधिनियम की चौथी अनुसूची के अध्याय, शीर्ष या उपशीर्ष अथवा टैरिफ मद के अधीन आने वाले उत्पाद शुल्क योग्य माल को, उक्त वित्त अधिनियम, 2002 की छठी अनुसूची के साथ पठित धारा 147 के अधीन उदगृहीत उतने अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से, जितना उक्त सारणी के स्तंभ (4) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर पर संगणित रकम से अधिक है, छूट प्रदान करती है ।

सारणी

क्रम सं0	अध्याय, शीर्ष या उपशीर्ष या टैरिफ मद	माल का विवरण	दर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2710	मोटर स्प्रिट, जिसे साधारणत: पेट्रोल के रूप में जाना जाता है	8 रु. प्रति लीटर
2.	2710	उच्च गति डीज़ल तेल	2 रु. प्रति लीटर

[फा. सं. 334/3/2019-टीआरयू]

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार